

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम बेंरा तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर

(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 31/2018 राजस्व वाद

अनवान

1. जगन्नाथ पिता किशोर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0

— (वादीया)

बनाम

1. रामसुख पिता किशोर ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बेंरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय बनेड़ा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

—(प्रतिवादी गण)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -


1. पक्षकारान उभयपक्ष उपस्थित
2. परोकार सरकार..... विपक्षी क्रम 02, 03

दिनांक- 15.06.2018

राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 केम्प मुकाम बेंरा में पक्षकारान उभयपक्ष तथा राज्य पक्ष की और से तहसीलदार बनेड़ा शिविर के दौरान उपस्थित। आज दिनांक 15.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र निर्णित किया जाकर अन्तिम डिक्री दी जाती हैं। वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादी सहमति से अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत डिक्री विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम बेंरा पटवार क्षेत्र बेंरा तहसील बनेड़ा स्थित खतौनी संख्या 136 किता 19 कुल रकबा 28-07 बीघा भूमि का शिविर मे तैयार कराया जाकर प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य विभाजन निम्नानुसार किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

- 1 जगन्नाथ पिता किशोर ब्राहमण सा.देह खातेदार (वादी)

आ0न0	रकबा
260/1	01-04
274/1	00-14
270	00-11
273/1	00-04
322	00-14
323	00-08
333	00-06
389/3	01-02
474	02-01
475	00-04
476	00-03
521	05-12
820	00-15


उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

821	00-10
1493	00-01-10
कुल 13	रकबा 14-02-10 बीघा

2 रामसुख पिता किशोर ब्राहमण सा.देह खातेदार (विपक्षी संख्या 01)

आ0न0	रकबा
260	01-04
270	00-11
273	00-11
274	00-07
389	00-18
474/1	02-08
521/1	05-11
820/1	00-14
821/1	00-11
1493	00-01-10
2520/334	00-06
कुल 10	रकबा 13-09-10 बीघा

3 शामलात यथावत

आ0न0	रकबा
260	00-02
272/2	00-05
276/2	00-02
389/1	00-02
389/2	00-02
821	00-02
कुल 06	रकबा 00-15 बीघा

उपरोक्तानुसार भूमि में वादी व प्रतिवादी क्रम 01 के मध्य क्रम संख्या 1 से 3 अनुसार रहेगा। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 के मुकाम बेंरा में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(रत्न लाल सेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेडा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:— डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ मय प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव प्रेषित हो।

(रत्न लाल सेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाड़ा)